APP-A

Crim-I

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत........उपखण्ड अधिकारी........मुकाम........कोटा........

........संजय सिंह चौधरी........बनाम........सरकार........

किस्म मुकदमा........88,89,92(2)........नं. ....131....सन् 2024....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
7/4/25	पत्रावली आदेश वास्ते पेश हुई। वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी ने दिनांक 17.07.20 को खातेदार मनमीत कौर पुत्री श्री इकबाल सिंह जाति जट सिक्ख निवासी अटवाल कॉम्पलेक्स पुलिस लाइन कोटा के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की ग्राम कोटड़ी पटवार हल्का लाडपुरा कोटा की खसरा नम्बर 287/2 रकबा 0.3700 है0 में से आराजी रकबा 0.0115 है0(पश्चिमी दिशा की तरफ से मध्य में) आराजी से पंजीकृत विक्रय पत्र से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया तथा बाद खरीद से वादी उपयोग व उपभोग खरीदशुदा आराजी का करता चला आ रहा है। वादी द्वारा बाद विक्रय पत्र, विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादी के यहा इंतकाल के लिये आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर प्रतिवादी द्वारा जॉच कर वादी का मौके पर कब्जा होना पाया किन्तु प्रतिवादी का सिस्टम अपडेट नही होने से हल्का पटवारी द्वारा इंतकाल खोलने से मना कर दिया जिसके कारण वादी के लिये वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। अतः वाद वादी प्रतिवादी के विरूद्ध डिक्री फरमाया जाकर वादी द्वारा खरीद की गयी ग्राम कोटडी पटवार हल्का लाडपुरा की खसरा नम्बर 287/2 रकबा 0.3700 है0 में से आराजी रकबा 0.0115 है0(पश्चिमी दिशा की तरफ से मध्य में) आराजी का खातेदार घोषित कर पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड के मनमीत कौर के स्थान पर दर्ज किया जावे। प्रस्तुत वादपत्र का अवलोकन किया गया। आवेदक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में अमल चाहता है। विक्रय पत्र तथा तहसील द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर का अवलोकन किया गया। वाद में एकमात्र निर्धारित किए जाने वाला बिन्दु यह है कि क्या आवेदक राजस्व रिकॉर्ड में अमल की पात्रता रखता है तथा प्रश्नगत भूमि आवेदक के खाते दर्ज की जानी चाहिए। उक्त तथ्य को प्रमाणित करने का भार भी प्रार्थी पर है। प्रार्थी द्वारा वाद प्रस्तुत करने के साथ ही कथन किया गया कि प्रश्नगत आराजी वाके ग्राम कोटडी वादी द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की गई है। उक्त विक्रय के पेटे समस्त निर्धारित राशि का भुगतान भी उसके द्वारा किया जा चुका है। तथा प्रश्नगत आराजी का कब्जा भी उसके द्वारा प्राप्त किया जा चुका है। विक्रय पत्र में स्पष्टतया क्रय किए गए भू–भाग का हिस्से में भी उल्लेख किया गया है। प्रार्थी के अनुसार तहसीलदार लाडपुरा द्वारा केवल इस आधार पर इन्तकाल दर्ज नहीं किया जा रहा है कि ऑनलाइन साफ्टवेयर में तरमीम का ऑप्शन नहीं आने के कारण तरमीम नहीं की जा सकती तथा इसी कारण इन्तकाल दर्ज नहीं किया जा सकता। प्रार्थी का आगे कथन है कि यदि सरकार के साफ्टवेयर में कोई कमी है, तो उसके लिए प्रार्थी को प्रताड़ित नहीं किया जा सकता।	

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए

उपस्थित अभिभाषक द्वारा आगे वर्णित किया गया कि तरमीम का ऑप्शन पटवारी की आईडी पर तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन एलआरसी की आईडी पर उपलब्ध है, अतः यदि न्यायालय आदेश दे तो टीडीआर व एलआरसी की आईडी से तरमीम की जा सकती है तथा इन्तकाल भी दर्ज किया जा सकता है।

तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर का अध्ययन किया गया। तहसील द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में नामान्तरकण कम्प्यूटर द्वारा ऑनलाईन दर्ज किए जा रहे हैं, साथ ही ई–पंजीयन सॉफ्टवेयर पर विकय पत्र के नामा0 स्वतः स्वीकृत नामा0 दर्ज किए जा रहे है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत संलग्न सेल डीड के अनुसार प्रार्थी के द्वारा ग्राम कोटड़ी पटवार हल्का लाडपुरा कोटा की खसरा नम्बर 287/2 रकबा 0.3700 है0 में से आराजी रकबा 0.0115 है0(पश्चिमी दिशा की तरफ से मध्य में) दिनांक 17.07.2020 को कय की है। उक्त नामान्तकरण दर्ज करने में कोई तकनीकी समस्या नही है। प्रार्थी के तथ्य निराधार है। खसरा विभाजन एवं तरमीम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 में वर्णित है। अतः केवल मात्र विकय पत्र के आधार पर विभाजन किया जाना न्याय संगत एवं विधि सम्मत नही है।

स्पष्टतया ई पंजीयन सॉफ्टवेयर से उक्त नामान्तरकरण दर्ज नही हो पाया है। सॉफ्टवेयर की किसी कमी या त्रुटि के लिए प्रार्थी प्रताड़ित नही हो सकता।

उक्त परिस्थितियों में वाद का एकमात्र निर्धारक बिन्दु वादी के पक्ष में तय किया जाता है तथा आदेश दिए जाते हैं कि विकयपत्र दिनांक 17.07.2020 द्वारा केता संजय सिंह चौधरी पुत्र श्री हरेन्द्र सिंह आयु 36 वर्ष जाति जाट निवासी मकान नम्बर सी 115/21 जयहिन्द नगर पुलिस लाईन कोटा को विकय की गई ग्राम कोटडी पटवार हल्का लाडपुरा की खसरा नम्बर 287/2 रकबा 0.3700 है0 में से आराजी रकबा 0.0115 है0(पश्चिमी दिशा की तरफ से मध्य में) भू–भाग को केता संजय सिंह चौधरी पुत्र श्री हरेन्द्र सिंह आयु 36 वर्ष जाति जाट निवासी मकान नम्बर सी 115/21 जयहिन्द नगर पुलिस लाईन कोटा के खाते दर्ज किया जावे तथा विकय पत्र अनुसार खसरा नंबर में आवश्यक तरमीम की जावे।

निर्णय भी प्रति पालना हेतु तहसीलदार लाडपुरा को प्रेषित की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

07/07/25

उपखण्ड अधिकारी
कोटा